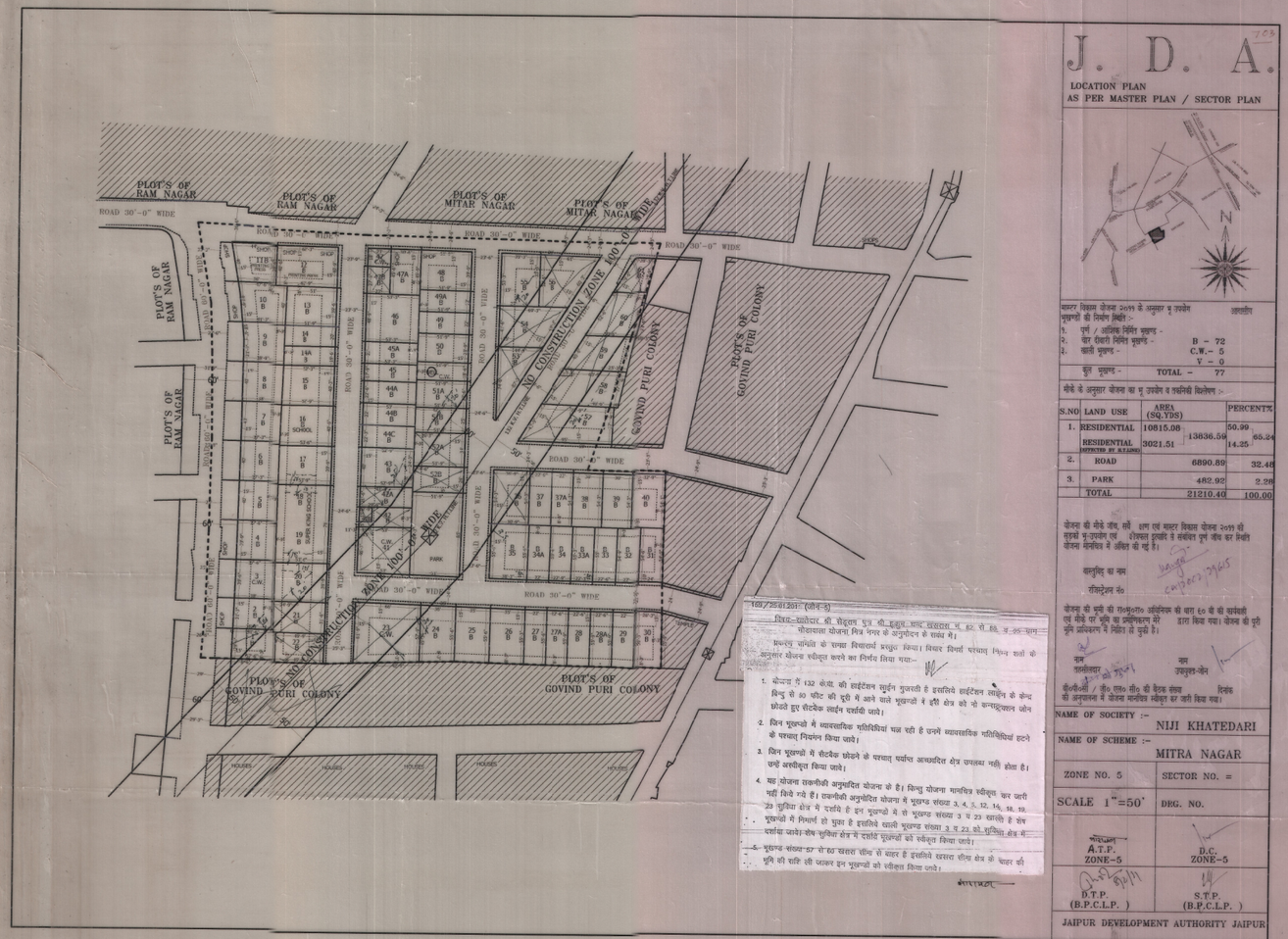

J. D. A.

LOCATION PLAN
AS PER MASTER PLAN / SECTOR PLAN

मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार भू उपयोग भूखण्डों की विभिन्न श्रेणी :-		आवंटी
1. पूर्व / आंशिक निर्मित भूखण्ड -		
2. पोर रोडवी निर्मित भूखण्ड -		B – 72
3. खाली भूखण्ड -		C.W.– 5
		V – 0
कुल भूखण्ड -	TOTAL –	77

योजना के अनुसार योजना का भू उपयोग व तकनीकी विश्लेषण :-

S.NO	LAND USE	AREA (SQ.YDS)		PERCENTA
1.	RESIDENTIAL	10815.06		50.99
	RESIDENTIAL RESTRICTED BY RAJAMC	3021.51	13836.59	14.25 65.24
2.	ROAD		6890.89	32.48
3.	PARK		482.92	2.28
	TOTAL		21210.40	100.00

योजना की मौके जांच, सभी हाल लागू मास्टर विकास योजना 2011 की सुसंगत भू-उपयोग एवं रोडवेज प्रावधानों से संबंधित पूर्ण जांच कर तैयार योजना मानचित्र में अंकित की गई है।

कानूनिस्ट का नाम
रजिस्ट्रेशन नं०

योजना की भूमि की गवर्नमेन्ट ऑर्डिनेन्स की धारा 6 के तो सर्वमती एवं मौके पर भूमि का उपलब्धता में हाल किया गया। योजना की पूर्ण भूमि उपलब्धता में निहित है पूर्ण है।

नाम
जनरलिस्ट

नाम
उपयुक्त-जोन

जी०एल०ओ / डी० एल० सी० की बैठक संख्या दिनांक की अनुपालना में योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी किया गया।

NAME OF SOCIETY :-
NIJI KHATEDARI

NAME OF SCHEME :-
MITRA NAGAR

ZONE NO. 5	SECTOR NO. =
SCALE 1"=50'	DEG. NO.
A.T.P. ZONE–5	D.C. ZONE–5
D.T.P. (B.P.C.L.P.)	S.T.P. (B.P.C.L.P.)

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY JAIPUR

103/2041201 (जोन-5)

विषय- प्लॉटधार की सोसायटी भूमि की मंजूरी प्राप्त उपलब्धता में 82 से 88 व 95 प्लाट योजनाबद्ध योजना मित्र नगर के अनुमोदन के संबंध में।

निम्नलिखित मामले के समग्र विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार विमर्श पश्चात् निम्न शर्तों के अनुसार योजना स्वीकृत करने का निर्णय किया गया–

1. योजना में 132 केवी की सबस्टेशन सुदीप नुवरती है इसलिये सबस्टेशन लाईन के केन्द्र बिन्दु से 50 फीट की दूरी में आने वाले भूखण्डों में इसी क्षेत्र को भी कन्सट्रक्शन जोन छोड़ते हुए सेटबैक लागू करायी जावे।
2. जिन भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही है उनमें व्यावसायिक गतिविधियां हटाने की पश्चात् निर्माण किया जावे।
3. जिन भूखण्डों में सेटबैक छोड़ने के पश्चात् पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। उन्हें आवंटित किया जावे।
4. यह योजना तकनीकी अनुमोदित योजना के है। किन्तु योजना मानचित्र स्वीकृत कर जारी नहीं किये गये है। तकनीकी अनुमोदित योजना में भूखण्ड संख्या 3, 4, 5, 12, 14, 18, 19, 23 खुलिया क्षेत्र में दर्शाये है इन भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या 3 व 23 खाली है शेष भूखण्डों में निर्माण हो चुका है इसलिये खाली भूखण्ड संख्या 3 व 23 को खुलिया क्षेत्र में दर्शाया जावे। शेष खुलिया क्षेत्र में दर्शाये भूखण्डों को संकेतक किया जावे।
5. भूखण्ड संख्या 57 से 60 सरकार रोड से बाहर है इसलिये सरकार रोड क्षेत्र के बाहर की भूमि की सहि ली जाकर इन भूखण्डों को स्वीकृत किया जावे।

अगलापृष्ठ